संख्या– /उन्तीस(2)/21–2(183पे0)/2021

1/26136/2022

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
जल जीवन मिशन उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 05 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2022

विषय :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की भुड्डी (ट्यूबवैल) पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के पत्रांक 1205/JJM-154/2021-22 दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहरापुर की भुड्डी (ट्यूबवैल) पम्पिंग पेयजल योजना की व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित (सैंटेज रहित) लागत रू0 1046.04 लाख (रू0 दस करोड़ छियालीस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) योजना के निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic /Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(ii) जनसंख्या की गणना के संबंध में तहसील के पिछले 02 दशक के आंकडों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरांत ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए।

(ii) कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करे कि डिजायन वर्ष में पेयजल मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजायन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहे।

(iv) योजना के कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(v) निर्माण सामग्री यथा रेत बजरी, ईंट, Cement. Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का S.I. Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।

(vi) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार से दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां उल्लिखित हैं विशिष्टियों एवं दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

(vii) योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाए।

(viii) आंगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के कियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ix) व्यय वित्त समिति के कार्य वृत्त के प्रस्तर–4.10 से 4.12 पर राज्य योजना आयोग के अभिमत का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न)

(x) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव मानकानुसार स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

(xi) कार्य का तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव कराया जाए।

(xii) योजना हेतु धनराशि का आहरण/व्यय, संचालन, रख रखाव एवं कार्य समबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु जल जीवन मिशन के दिशा–निर्देशों, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रभावी दिशा–निर्देशों तथा अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया

I/26136/2022 जाएगा।

I/26136/2022 (xiii) स्वीकृत की जा रही योजना हेतु धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से कार्यदायी संस्था को दी जायेगी तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन मदों व योजनाओं के लिए धनराशि निर्गत की जा रही है। उसी मद/योजना में व्यय की जाये।

(xiv) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा केन्द्रांश व राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित व वर्तमान में प्रभावी दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लागू संगत नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जाय।

(xvi) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(xvii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(xviii) निर्माण कार्य पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाए और न ही अनुमोदित आंगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाए।

(xix) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(xx) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xxi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा–निर्देशो का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xxii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xxiii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xxiv) योजना में जल जीवन मिशन, सामुदायिक अंश, मनरेगा, 15 वां वित्त आयोग तथा अन्य किसी कार्यक्रम जैसा कि योजना के प्राक्कलनों में उल्लिखित है के अनुसार वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में अनियमितता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(xxv) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(xxvi) उक्त योजना हेतु धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समय–समय पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 90 प्रतिशत धनराशि एवं उसके सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश जिसे विभिन्न शासनादेशों के माध्यम के समय–समय पर निर्गत किया गया/किया जायेगा से किया जायेगा।

(xxvii) प्राक्कलन डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

2. यह आदेश शासनादेश सं0 1204/उन्तीस(1)/2021–(01अधि0)2020 दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में विहित प्रतिनिधायन तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1446/XXVII(2)/2021–22 दिनांक 29 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Meharban Singh Bisht
Date: 30-03-2022 13:00:32

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 06/04/2022 10:04 AM

I/26136/2022

पु0संख्या– /उन्तीस(2)/21–2(183पे0)/2021,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून।
4–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6–बजट निदेशालय, देहरादून।
7–वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Sunil Singh
Date: 05-04-2022 13:33:58

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 06/04/2022 10:04 AM